

EXAB 15/22

25.09.25

आवेदक/डिकीधारी द्वारा श्री नवनीत सोनी अधिवक्ता।
निर्णितऋणीगण एकपक्षीय।

प्रकरण कुर्की वारंट प्रतिवेदन हेतु नियत है।

डिकीधारी की ओर से अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया कि उन्हें संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किया जावे एवं उक्त आशय की टीप आदेश पत्रिका में भी अंकित की गयी। प्रकरण में पूर्ण राशि प्राप्त होने से प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। अतः प्रवर्तन प्रकरण में वसूली योग्य कोई राशि शेष न होने से प्रवर्तन प्रकरण की कार्यवाही पूर्ण संतुष्टि में समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रकरण अमिलेखागार में जमा किया जावे।

(कैलाश नारायण अहिरवार)
द्वितीय जिला न्यायाधीश बैतूल

पूर्ण संतुष्टि में प्रकरण
समाप्त किया गया
NS
25/09/25